अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

06.7.23

न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची

राँची सर्वे अपील– 83/2012

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची पूर्वी

बनाम्

मसो० सुकसारी देवी एवं अन्य

आदेश

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। इन्होंने सी०पी०सी की धारा 152 के तहत् दिनांक– 07.07.2022 को पारित आदेश में त्रुटि यथा :– आदेश के प्रथम पृष्ट के छठे पंक्ति में मौजा दोबाडू थाना–सिल्ली, थाना नं०–29 दर्ज हो गया है जो थाना नं०–38 होना चाहिए एवं प्रथम पृष्ट के ही सातवे पक्ति में खाता नं०–134'क'/431 प्लॉट नं०–3695,3696,3734 नये सर्वे के प्लॉट को दर्शाया गया हे जबकि आर०एस० खाता एवं नया सर्वे खाता तथा आर०एस० प्लॉट एवं नया सर्वे प्लॉट यथा खाता नं० 134'क'/431 प्लॉट नं०–3695/3169, 3171,5697, 3696/3168, 3734/3178, 3179 अंकित होना चाहिए। लिपिकीय/टंकण भूल बतलातें हुए सुधार नामा आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। इन्होंने द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के कथन को स्वीकार किया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

इस वाद में दिनांक–07.07.2022 को पारित आदेश के प्रथम पृष्ट के छठे पंक्ति में मौजा–दोवाडू, थाना–सिल्ली थाना नं०–29 के स्थान पर थाना नं०–38 एवं प्रथम पृष्ट के सातवें पक्ति में दर्ज खाता नं० 134'क'/431 में अवस्थित तीनों प्लॉट– 3695, 3696, 3734 के स्थान पर खाता नं० 134'क'/431 के प्लॉट नं० 3695/3169,3171,5697, 3696/3168 तथा 3734/3178, 3179 अंकित किया जाता है।

इस प्रकार दिनांक–07.07.2022 को पारित आदेश के प्रथम पृष्ट के छठे पंक्ति एवं सातवें पक्ति मे अंशिक संशोधन किया गया शेष अंश यथावत् रहेंगे।

6/07/23

प्रमण्डलीय आयुक्त।

लेखापित एवं संशोधित।

6/07/23.

प्रमण्डलीय आयुक्त।

Digitally signed by MANOJ JAISWAL
Date: 2023.11.23 01:57:38 -08:00
Location: 10.93.73.188